

प्रेषक,

आर०के० द्विवेदी,  
अनु सचिव,  
उ०प्र०शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,  
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,  
उ०प्र०, लखनऊ।

**कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4**

**लखनऊ:दिनांक-21 नवम्बर, 2013**

विषय:- जिला कारागार, बदायूँ में दिन शौचालय, बाथिंग प्लेटफार्म एवं नालियों के निर्माण कार्यों हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-30653/नम-2, दिनांक-17.10.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-83/22-4-13-48(34)/12, दिनांक-31.3.2013 द्वारा जिला कारागार बदायूँ में शौचालय, सेप्टिक टैंक, सोकपिट एवं नाली के निर्माण हेतु रू०-44,53,000/- (रूपया चौबालीस लाख तिरपन हजार मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू०-15,00,000/- (रूपये पन्द्रह लाख मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। आपके उक्त पत्र दिनांक-17.10.2013 में किये गये प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुये श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2013-14 में उक्त निर्माण कार्य हेतु अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि रू०-29,53,000/- (रूपये उन्तिस लाख तिरपन हजार मात्र) की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत सम्पूर्ण धनराशि का सदुपयोग दिनांक-31.3.2014 तक अवश्य कर लिया जाय।

2- इस निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-04-कारागारों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाले जायेगा और उक्त लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध प्रावधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त शासनादेश दिनांक-31.3.2013 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-1-640/दस-2013-231/2013, दिनांक-28.3.2013 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

(22/11/13)

22-11-13  
अ.के.ए.  
निरीक्षक

25-11-13

14147

9/85

9/85

भवदीय,  
(आर०के० द्विवेदी)  
अनु सचिव।

संख्या-1588(1)/22-4-2013-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ०प्र०,इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उ०प्र० इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक निदेशक, समाज कल्याण निर्माण नियम लि० लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी, बदायूँ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1/2
- 8- मॉडर्न फाइल।

आज्ञा से,

( आर०के० द्विवेदी )  
अनु सचिव।